इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना १७ मार्च, १८६६ को एक रॉयल चार्टर के माध्यम से उत्तर-पश्चिमी प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई। उस समय इस उच्च न्यायालय में इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश अर्थात् सर वॉल्टर मॉर्गन तथा पांच अन्य न्यायाधीश अर्थात् एलेक्जेंडर रॉस, विलियम एडवर्ड्स, विलियम रार्बट्स, फ्रांसिस बॉयल पार्सन और चार्ल्स अर्थर टर्नर शामिल थे।

इस उच्च न्यायालय में पहली बार सुनवाई का कार्य आगरा में १८.०६.१८६६ को हुआ। तत्पश्चात्, १८६९ में इस न्यायालय को इलाहाबाद के क्वीन्स रोड, जिसे अब सरोजिनी नायडू रोड कहा जाता है, स्थित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार फ्रैंक लीशमान द्वारा तैयार किया गया था। इसकी आधारशिला, इसके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर जॉन स्टेनली के.सी. द्वारा १८.०३.१९११ को रखी गई। त्रिकोणीय आकार के गुंबदनुमा केंद्र, लहरदार मेहराबों, पत्थर के सजावटी जंगलों और मेहराबदार गलियारों से सज्जित इस उच्च न्यायालय के मुख्य भवन के डिजाइन में वास्तुशिल्प की पश्चिमी और पूर्वी शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस भवन का निर्माण कार्य २७.११.१९१६को पूरा हुआ और भारत के तत्कालीन वायसराय तथा गवर्नर जनरल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के भवन का डिजाइन तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, डब्ल्यू.जी. वुड ने तैयार किया। इसका निर्माण कार्य १९०० में आगरा तथा अवध संयुक्त प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर ए.पी. मैकडॉनल के प्रशासन काल में हुआ। गुंबदों और स्तंभों वाले इस भवन के निर्माण में राजस्थानी और मुगल वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं का इस्तेमाल किया गया है।

उच्च न्यायालय को अनुपूरक लेटर पेटेंट के माध्यम से दिनांक ११.०३.१९१९ को 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' का नया नाम प्रदान किया गया।

२६ जुलाई, १९४८ को संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (आमेलन) आदेश, १९४८ के अंतर्गत अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आमेलित कर दिया गया।

प्रारंभ में, इस उच्च न्यायालय में ६ न्यायाधीश थे और आज जब यह न्यायालय अपनी १५०वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तब इसमें कुल १६० न्यायाधीश हैं, जिनमें से ९० स्थायी और ७० अतिरिक्त न्यायाधीश हैं और इस दृष्टिकोण से, यह देश का विशालतम न्यायालय है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे। श्री शाह मोहम्मद सुलेमान इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने और श्री बिधु भूषण मलिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब तक कुल ४५ मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख रह चुके हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय को देश के ५ प्रधान न्यायाधीश देने का भी श्रेय प्राप्त है। इनमें सर्वश्री के. एन. वांच्, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, रघुनंदन स्वरूप पाठक, कमल नारायण सिंह और वी.एन. खरे शामिल हैं।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता वर्ग (बार) में प्रारंभ में, अर्थात् १८६६ में, मात्र ६ अधिवक्ता थे। परंतु, उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की पंजीकरण सूची के अनुसार आज यह संख्या बढ़कर लगभग १५००० तक पहुंच चुकी है।

विलियम जार्डिन उत्तर-पश्चिमी प्रांत के प्रथम सरकारी अधिवक्ता थे। उनकी नियुक्ति १८६९-७० के दौरान हुई थी।

उच्च न्यायालय की इलाहाबाद प्रधान न्यायपीठ के अधिवक्ताओं के दो मान्यता-प्राप्त संघ हैं, अर्थात् हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ और अधिवक्ता एसोसिएशन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ताओं का अवध अधिवक्ता संघ के नाम से मान्यता-प्राप्त अपना संघ है। उच्च न्यायालय के आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरण के समय इसके अधिवक्तावर्ग में इंग्लैंड और आयरलैंड अधिवक्तावर्ग के बैरिस्टर, स्कॉटलैंड के अधिवक्ता तथा वकील शामिल थे। श्री राम प्रसाद, श्री जे.एन. चौधरी, पंडित सुंदर लाल और पंडित मोतीलाल नेहरू वे पहले वकील थे, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा १८९६ में अधिवक्ता का दर्जा प्रदान किया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस समय अग्रगामी कदम बढ़ाया, जब २४ अगस्त, १९२१ को इसने कॉर्नेलिया सोराबजी को उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला वकील के रूप में नामांकित किया। यह वह दौर था, जब अन्य उच्च न्यायालय महिला अधिवक्ताओं के नामांकन के आवेदन नामंजूर कर चुके थे। कॉर्नेलिया सोराबजी को नामांकित करने का यह निर्णय न्यायालय की तत्कालीन प्रशासकीय कमेटी अर्थात् इंग्लिश कमेटी द्वारा लिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर ग्रिमवुड मेयर्स शामिल थे। १९९५ में महिला अधिवक्ताओं के लिए उच्च न्यायालय में विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस कक्ष को कॉर्नेलिया सोराबजी हॉल नाम दिया गया।

उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार इसके प्रशासनिक प्रमुख हैं। उनके सहयोग के लिए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है, जिन्हें सामूहिक रूप से न्यायालय की रजिस्ट्री कहा जाता है। इस रजिस्ट्री के अंतर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य कार्मिक शामिल होते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ तथा लखनऊ खंडपीठ, दोनों ही परिसरों में मुख्य न्यायाधीश पुस्तकालय तथा न्यायाधीश पुस्तकालय की व्यवस्था है। यह पुस्तकालय, १,७५,००० विधिक विश्लेषणों/अधिनियमों/नियम पुस्तिकाओं/रिपोर्टीं/डाइजेस्टों तथा वर्ष १९०१ से आज तक के १,२०,००० सजिल्द जर्नलों, राजपत्रों (केन्द्रीय एवं राज्य) के ५००० सजिल्द संकलन, लॉ रिपोर्टर पत्रिकाओं, अन्य पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से सज्जित हैं।

उच्च न्यायालय का इलाहाबाद और लखनऊ में अपना संग्रहालय भी है। इन संग्रहालयों में निर्णयों का विशाल संग्रह, विलेखों, फोटोग्राफों, ड्रेस, फर्नीचर आदि के साथ-साथ रानी विक्टोरिया के १७ मार्च, १८६६ के उस शाही फरमान की मूल प्रति भी संरक्षित है, जिसके तहत इस उच्च न्यायालय को बनाया और स्थापित किया गया।

उच्च न्यायालय की इलाहाबाद तथा लखनऊ, दोनों ही पीठों में, एक मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र की भी व्यवस्था की गई है ताकि विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के इच्छुक लोग आपसी समझौते से ऐसा कर सकें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण का कार्य संपन्न करने जा रहा है। वर्ष २००९ से, निर्णयों तथा आदेशों के जारी होने के तत्काल बाद इन्हें इंटरनेट पर अपलोड करने की ट्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय ने अपनी समस्त फाइलों के डिजिटाइजेशन की विशाल प्रकिया भी शुरू की है। उच्च न्यायालय, ई-फाइलिंग की सुविधा के साथ-साथ ई-न्यायालयों का संचालन कर अपने समस्त कार्य को कागजरहित बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष १९६६ में अपनी शताब्दी मनाई । इसका शताब्दी उपरांत रजत जयंती समारोह वर्ष १९९१ में मनाया गया ।

२०१६ में , इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपनी स्थापना की १५०वीं वर्षगांठ मना रहा है और डाक विभाग, इस उपलक्ष्य में दो स्मारक डाक-टिकटों का सेट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:-

मूलपाठ

: प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित

डांक टिकट/मिनिएचरशीट/ प्रथम दिवस आवरण/विरूपण : श्रीमति नीन् गुप्ता



तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

म्ल्यवर्ग : 1500 पैसा, 500 पैसा

Denomination: 1500 p, 500 p

मुद्रित डाक-टिकटें : 4.0 लाख प्रत्येक Stamps Printed : 0.4 million each

मिनिएचरशीट : 0.5 लाख

Miniature Sheet: 0.05 million

मुद्रण प्रक्रिया : वेट ऑफसेट Printing Process : Wet Offset

मुद्रक : प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद

Printer : Security Printing Press,

Hyderabad

©डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवर तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है। © Department of Posts, Government of India. All right with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.0

Allahabad High Court

The High Court of Allahabad was established by a Royal Charter as the High Court of Judicature for the North Western Province on 17th March, 1866 and was seated at Agra. At that time, it was comprised of the First Chief Justice – Sir Walter Morgan and five other Judges Alexander Ross, William Edwards, William Roberts, Francis Boyle Parson and Charles Arthur Turner.

The High Court had its first sitting on 18.06.1866 at Agra. Thereafter, it was shifted to Allahabad in the year 1869 in the building on Queens' Road now Sarojini Naidu Road. The building in which the High Court, Allahabad is seated at present was designed by the famous architect Frank Lishman. Its foundation stone was laid by Sir John Stanley KC., the then Chief Justice on 18.03.1911. The main building with dome shaped pedimented center, engrailed arches, stone balustrades and arcaded wings is a marvelous synthesis of western and eastern architectural styles. The construction of the building was completed on 27.11.1916 and the building was inaugurated by Lord Chemsford, Viceroy & Governor General of India.

The building in which the Lucknow Bench of High Court is located was designed by Mr. W. G. Wood, Executive Engineer. Its construction began in the year 1900 during the administration of Sir A. P. Macdonnel, the erstwhile Lt. Governor of United Province of Agra and Oudh. The building incorporates the best of Rajasthani and Mughal architecture with domes and pillars.

The High Court got the new name of 'High Court of Judicature at Allahabad' through a supplementary Letters Patent on 11.03.1919.

On 26th July, 1948 the Chief Court of Oudh merged with High Court of Judicature at Allahabad under the United Provinces High Court (Amalgamation) Order, 1948.

The High Court started functioning with 06 Judges and at present, when it is celebrating its 150th Anniversary, it has a sanctioned strength of 90 permanent and 70 additional Judges, a total 160 Judges, making it the biggest in the country.

Starting from Sri Walter Morgan the First Chief Justice, Shri Shah Mohammad Suleman the First Indian Chief Justice and Shri Bidhu Bhushan Malik, the First Chief Justice after Independence, the High Court, Allahabad has witnessed 45 Chief Justice so far.

The High Court of Allahabad has the distinction of having given the country five Chief Justices of India namely Sarvsshri K.N. Wanchoo, Mirza Hameedullah Beg, Raghunandan Swarup Pathak, Kamal Narain Singh and V. N. Khare.

The Bar of the High Court in the beginning i.e. in 1866 consisted of 6 Advocates only but is population today is about 15000 as per the rolls maintained by the Registry of the High Court.

Mr. William Jardin was the first Government advocate of North West Provinces appointed during 1869-70.

The Advocates of the High Court at Principal Seat at Allahabad are grouped in two different recognized associations namely High Court Bar Association and Advocates' Association. The Advocates at High Court, Lucknow

Bench have their own recognized Bar Association in the name of Oudh Bar Association.

At the time when the High Court shifted from Agra to Allahabad the Bar was composed of barristers of English and Irish Bar, the advocates of Scotland and Vakils. Mr. Ram Prasad, Mr. J. N. Chaudhary, Pt. Sundar Lal and Pt. Moti Lal Nehru were the first batch of the Vakils admitted to the status of advocates by the Chief Justice in 1896.

The Allahabad High Court took the lead when other High Courts rejected applications for enrollment of women lawyers, by enrolling Miss. Cornelia Sorabji as the First Indian Lady Vakil of Allahabad High Court on August 24, 1921 by a decision of the English Committee of the court (as the Administrative Committee was then called) consisting of Chief Justice Sir Grimwood Mears. In 1995 a retiring room for lady Advocates was inaugurated and was named as Cornelia Sorabji Hall.

The Registrar General is the Administrative Head of the High Court. He is assisted by several Officers & Officials collectively known as the Registry of the Court including Registrars, Joint Registrars, Dy. Registrars, Asst. Registrars, Section Officers, Review Officers, Asst. Review Officers and many others.

The High Court both at Allahabad and its Lucknow Bench has a Chief Justice's Library and a Judges Library with more than 1,75,000 Commentaries / Acts / Manuals / Reports / Digests, 1,20,000 bound volumes of Journals starting from the year 1901 till date, 5,000 bound volumes of Gazettes (Central & State), Law Reporters, Magazines and News Papers.

The High Court has its own Museum both at Allahabad and Lucknow with a rich collection of judgments, deeds, photographs, dress, furniture and the original charter of Her Majesty the Queen Victoria of 17th March, 1866 by which the High Court was created and established.

A Mediation & Reconciliation Centre has also been established in the High Court both at Allahabad & Lucknow for the Persons who are willing to resolve their disputes amicably by negotiations.

The High Court is on its way to complete computerization. From the year 2009, the copies of Judgments & Orders are being uploaded on the Internet immediately after their delivery. A mammoth task of digitalization of all the files has been undertaken by the High Court. The High Court is proposing to make its entire work paperless by adopting e-filing and also by running e-courts.

The High Court celebrated its Centenary in the year 1966. The Post Centenary Silver Jubilee Function of the High Court was celebrated in the year 1991.

Now in the year 2016, the High Court of Judicature at Allahabad is celebrating its 150th Anniversary and the Department of Posts is pleased to issue a set of two Commemorative Stamps to mark this event.

Credits:-


Text : Ba

Based on the material received

from proponent

Stamp/ Miniature Sheet/FDC/ Cancellation Cachet Smt. Nenu Gupta

भारतीय डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS INDIA



इलाहाबाद उच्च न्यायालय 150वं वार्षिकोत्सव HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD SESQUICENTENNIAL CELEBRATIONS

विवरिणका BROCHURE